UPKU100050282026

न्यायालय –न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

पीठासीन अधिकारी–(मिताली सोनकर)– उ०प्र० न्यायिक सेवा– UP3722

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–275/2026

मीरा देवी बनाम अनिल उर्फ मैनेजर आदि।

15.06.2026

पत्रावली पेश हुयी। आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। आवेदिका द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, **आघात आख्या,** रजिस्ट्री रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति दाखिल किया गया है।

आवेदिका का कथन है कि, "हम प्रार्थिनी मीरा देवी पत्नी बबलू शर्मा सा०बडहरा दूबे थाना बिशुनपुरा, जिला कुशीनगर की निवासीनी हूँ। हम प्रार्थीनी के पति बबलू दिनांक 25–3–2026 को समय करीब 10 बजे सुवह घर आ रहे थे कि घर के पास रास्ते मे अनिल उर्फ मैनेजर पुत्र बंशी व राजन पुत्र अनिल उर्फ मैनेजर मेरे पति को रास्ते मे रोककर गाली– गुप्ता व जान–माल की घुडकी धमकी देते हुए मारने पीटने लगे, मेरे पति किसी तरह से भागकर घर आये तो उसी समय अनिल उर्फ मैनेजर पुत्र बंशी, राजन पुत्र अनिल उर्फ मैनेजर, खुशी पुत्री अनिल उर्फ मैनेजर व सन्टू पत्नी राजन , बिन्दूदेवी पत्नी अनिल उर्फ मैनेजर सा०बडहरा दूबे, थाना बिशुनपुरा, जिला कुशीनगर अपने साथ 3 अज्ञात लोगो को लेकर जिन्हें देखकर पहचान सकते है, उनके नाम व पता नही जानते है, मेरे घर मे सभी लोग घुस गये तथा मुझे, मेरी सास पानमति देवी व मेरे पति बबलू को मारने लगे, मै गर्भवती थी तथा मेरे गले से सोने का मगल सूत्र कीमती 70,000 रू०राजन ने छिन लिया तथा बाकी मुल्जिमान घर में रखा घरेलू सामान तोड फोड करने लगे। हम लोगो के शोर पर दुखी पुत्र शंकर, शैलेश पुत्र सीताराम व अन्य तमाम लोग आ गये। अभियुक्तगण लोगो को आया हुआ देखकर भददी भददी गाली गुप्ता व जान से मारने की घुडकी धमकी देते हुए चले गये। अभियुक्तगण द्वारा लगभग 5000 रू0 का सामान तोड फोड कर नुकशान कर दिये। प्रार्थिनी ने अपनी तथा अपनी सास चानमति का डाक्टरी परीक्षण सरकारी अस्पताल दुदही में कराया है। पैसे के अभाव में पति के चोटो की डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया है। घटना की सूचना प्रार्थिनी ने स्थानीय थाने पर दिया परंतु अभियुक्त अनिल उर्फ मैनेजर जो थाने का चौकीदार होने के कारण प्रार्थिनी की रपट नही दर्ज हुई है। प्रार्थिनी कई बार रपट दर्ज कराने हेतु थाने पर गयी परंतु स्थानीय थाने पर अभियुक्त अनिल के प्रभाव होने के कारण रपट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थिनी मजबुर होकर घटना की सूचना जरिये रजिस्टी श्रीमान एस०पी० महोदय कुशीनगर को सूचना दिया है। वहाँ से भी कोई कार्यवाही नही होने पर दिनांक 28–4–26 को मानवाधिकार आयोग व मुख्य मंत्री महोदय उ०प्र० शासन तथा उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय गोरखपुर आदि को रजिस्टी सूचना दिया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही होने पर तथा प्रार्थिनी की रपट दर्ज न होने के कारण श्रीमान को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया जा रहा है। मामला गम्भीर प्रकृति का संज्ञेय अपराध है। मुल्जिमान नबालिग नही है और न ही लोकसेवक ही है। ऐसी दशा मे उक्त घटना के बावत प्राथमिकी दर्जकर विवेचना हेतु थानाध्यक्ष महोदय विशुनपुरा को आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है किं थानाध्यक्ष

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.06.15 16:46:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

महोदय थाना विशुनपुरा को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थनापत्र के प्रकाश मे उक्त मामला को पंजीकृत कर मामले की विवेचना हेतु आदेश देने की कृपा किया जावे।"

थाना– **विशुनपुरा** से आख्या आहूत की गयी। आख्या प्राप्त हुई। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में कोई अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत नहीं है।

मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

आवेदिका/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवेदिका ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थिनी, उसकी सास व उसके पति को मारने पीटने, गाली गुप्ता, जान से मारने की धमकी देने, घर में रखा घरेलू सामान तोड़फोड़ करने तथा प्रार्थिनी के गले से सोने का मंगल सूत्र छिन लिये जाने का कथन किया है। आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आघात आख्या व **एक्स रे** की मूलप्रति दाखिल की है, जिनके अवलोकन से आवेदिका व उसकी सास को **Hard and Blunt object** से गम्भीर चोटें आना अंकित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है। विपक्षीगण पर लगाये गये आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी **विशुनपुरा** को आदेशित किया जाता है, कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्दर सप्ताह दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराये और नियमानुसार विवेचना करें।

दिनांक–15.06.2026

(मिताली सोनकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
J.O. Code:–UP3722